FORM No. 123

(Order 24 Rule 07/ Order 32 Rule 03)

**न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।**

| Date | **Orders with initials of P.O.**<br>**घीसालाल बनाम मुनीसुब्रतनाथ दिगंबर जैन**<br>**दीवानी मूल वाद संख्या – 54/2021(29/2010)**<br>**सीआईएस संख्या – 516/2014** | Brief note of Compliance of Order |
|---|---|---|
| 03.12.2024 | वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। इस आदेश के द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत अंतर्गत आदेश 11 नियम 1 सीपीसी का निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।<br>दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किए कि वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/3 के कब्जे व अधिकार में वादग्रस्त अचल संपत्ति का मूल पट्टा विलेख दिनांक 15.10.1923 न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आदेश 11 नियम 14 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस दिनांक 01.05.2024 को स्वीकार किया गया। उक्त प्रतिवादीगण ने मूल पट्टा अपने कब्जे व अधिकार में नहीं होने बाबत दिनांक 08.07.2024 को शपथ पत्र पेश किया गया था। उक्त शपथ पत्र के अनुक्रम में नगरपरिषद किशनगढ़ से सूचना के अधिकार के तहत दस्तावेज प्राप्त कर आदेश 7 नियम 14(3) सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया जो दिनांक 07.10.2024 को स्वीकार किया गया। उक्त सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेज से यह प्रकट होता है कि प्रश्नगत मूल पट्टा दिनांक 15.10.2023 मूलचंद झांझरी के कब्जे एवं अधिकार में था व उनके निधन के बाद प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/3 के कब्जे अधिकार में है। प्रतिवादीगण ने गलत शपथ पत्र पेश किया है। जिसके संबंध में परिप्रश्न पूछा जाना आवश्यक है। अतः परिप्रशन पूछे जाने का निवेदन किया तथा प्रार्थना पत्र के साथ पूछे जाने वाले परिप्रश्न भी पेश किए। वादीगण द्वारा अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक–दृष्टांत DNJ 2010(1) RAJ 172 भी पेश किया गया।<br>उक्त प्रार्थना पत्र का प्रतिवादी पक्ष की ओर से लिखित में जवाब प्रस्तुत किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने कथन किए कि प्रश्नगत मूल कोई भी पट्टा दिनांक 15.10.2023 का नहीं है ना ही प्रतिवादीगण/जवाबकर्ता के कब्जे में है। उक्त वाद प्रस्तुत किए जाने से पूर्व स्वर्गीय मूलचंद झाझरी प्रतिवादी संख्या 2 एवं स्वर्गीय घीसालाल झांझरी के मधुर संबंध थे। घीसालाल द्वारा ही उक्त पट्टे की फोटोप्रति नोटरी पब्लिक रमेशचंद शर्मा से मूलचंद झांझरी को उपलब्ध करवाई गई थी। प्रश्नगत पट्टे के आधार पर निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। घीसालाल द्वारा नोटरी पब्लिक रमेशचंद द्वारा तस्दीक करवाया गया था। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी साक्ष्य प्रारंभ होने पर इस संबंध में जवाबकर्ता प्रतिवादीगण से विस्तृत जिरह किए जाने के अवसर वादी के पास है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मय हर्जे–खर्चे खारिज किए जाने का निवेदन किया।<br>उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली, संबंधित विधि एवं न्यायिक–दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र को गलत होना बताते हुए प्रतिवादीगण से परिप्रश्न किए जाने की अनुमति लिए जाने का निवेदन किया। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किए जाए तो वादीगण द्वारा पूर्व में प्रतिवादी संख्या 2/1 व 2/3 के कब्जे आधिपत्य में वादग्रस्त संपत्ति का पट्टा विलेख दिनांक 15.10.1923 होना बताते हुए उसे तलब करने का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 14 सीपीसी पेश किया गया था जिसमें न्यायालय | |

द्वारा दिनांक 01.05.2024 को उक्त पट्टा प्रतिवादी के कब्जे आधिपत्य में होने या नहीं होने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। जिस पर प्रतिवादी द्वारा दिनांक 08.07.2024 को शपथ पत्र पेश कर कथन किए गए कि मूल पट्टा दिनांक 15.10.1923 उनके कब्जे, आधिपत्य में नहीं है। तत्पश्चात वादी द्वारा साक्ष्य वादी हेतु अवसर दिए जाने के पश्चात दिनांक 06.08.2024 को आदेश 7 नियम 14 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर दस्तावेज को रिकोर्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया जो दिनांक 07.10.2024 को रिकोर्ड पर लिया गया। तत्पश्चात वादी को साक्ष्य वादी पेश करने के लिए कई अवसर प्रदान किए गए एवं कोस्ट पर भी अवसर प्रदान किए गए। जिस पर वादी द्वारा उक्त हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादी द्वारा पूर्व में उक्त दस्तावेज प्रतिवादी से तलब किए जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका है, जिसके अनुक्रम में प्रतिवादी द्वारा शपथ पत्र भी पेश किया जा चुका है। अतः ऐसी स्थिति में जबकि प्रतिवादी द्वारा शपथ पत्र पेश हो चुका है तथा उनके द्वारा स्वयं के कब्जे–अधिकार में उक्त दस्तावेज नहीं होना बताया गया है। अब पुनः आदेश 11 नियम 1 सीपीसी के तहत परिप्रश्न पूछे जान को औचित्य नहीं है। पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु लंबे समय से नियत है, कोस्ट पर भी अवसर दिए जा चुके है परंतु वादीगण द्वारा साक्ष्य पेश नहीं की जा रही है। परिप्रश्न का उद्देश्य वाद के विचारण में विलंब को रोकना है परंतु पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादीगण द्वारा उक्त प्रकरण को अनावश्यक रूप से विलंबित किया जा रहा है जो परिप्रशन वादीगण प्रतिवादीगण से प्रकट करवाना चाहते है उक्त प्रश्न प्रतिवादी साक्ष्य में दौराने जिरह कर सकता है। अतः उनके संबंध में प्रश्नों द्वारा प्रकटीकरण करवाया जाना न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रतिवादीगण से जिरह का अवसर प्राप्त होने पर वादीगण उक्त परिप्रशन प्रतिवादीगण से पूछ सकते है, यदि प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य पेश नहीं की जाती है तो उस दशा में वादी उक्त परिप्रशनों को प्रतिवादी से पूछने के लिए स्वतंत्र रहेगा। इस संबंध में वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक–दृष्टांत का भी अवलोकन किया गया। उक्त न्यायिक–दृष्टांत में माननीय न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा ही प्रश्नों का जवाब दिए जाने का आदेश दिया है परंतु हस्तगत प्रकरण में वादी द्वारा पूर्व में आदेश 11 नियम 14 का प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका है। जिसके अनुक्रम में शपथ पत्र पेश किया गया है। जबकि उक्त न्यायिक–दृष्टांत में आदेश 11 नियम 1 सीपीसी के पूर्व आदेश 11 नियम 14 सीपीसी का कोई दस्तावेज तलब करवाए जाने का कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है ना ही कोई शपथ पत्र पेश हुआ था। अतः ऐसी स्थिति में उक्त न्यायिक–दृष्टांत के तथ्यों में भिन्नता होने के कारण उक्त न्यायिक–दृष्टांत हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर चस्पा नहीं होते है। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना उक्त विवेचनानुसार स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली टारगेटेड केस है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने टारगेटेड केस के निस्तारण के निर्देश दे रखे है। अतः वादी आईंदा अपनी समस्त साक्ष्य पेश करे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 09.12.2024 को पेश हो।

**(शालिनी शर्मा)**
**अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश**
**संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।**